न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील भरण पोषण संख्या 10/21 सन् 2021

GCMS NO-2021/95

बउनवानीः–1. अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री जगन लाल जाति खटीक

2. विमला देवी पत्नि अशोक कुमार खटीक निवासी तुलारा मैरिज हॉल के सामने विकास आटो ऐजेन्सी के बगल में पटेल नगर उदेई मोड गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. रामपति देवी पत्नि जगनलाल खटीक नि0 बैराडा तह0 बामनवास, सवाईमाधोपुर
2. मुरारीलाल पुत्र जगनलाल खटीक नि0 ग्राम ईदगाह मोड गुर्जरो की ढाणी गंगापुर
3. उदयप्रकाश पुत्र जगनलाल खटीक निवासी फब्बारा चौक उदेई मोड गंगापुर सिटी

(अपील विरूद्ध आदेश उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 05/2020 मे पारित आदेश दिनांक 23.2.2021 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम,2007)

उपस्थितः– 1. श्री जगन्नाथ चौधरी — अपीलान्टगण
2. श्री नवीन शंकर नागर — रेस्पो. संख्या 1,3
3. श्री रामस्वरूप साहू — रेस्पो. संख्या 2

–: निर्णय :– **दिनांक 23.8.2022**

अपील अपीलान्ट ने उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 05/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 23.2.2021 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व पत्रावली का पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का सही प्रकार से अवलोकन नही किया ओर ना ही वस्तुस्थिति की जॉच की गयी है। क्योकि अपीलान्ट व रेस्पो0 की ग्राम बैराडा तहसील बामनवास मे संयुक्त खातेदारी की 12 बीघा भूमि है जिसपर रेस्पो संख्या 1 ने नाजायज कब्जा व स्वामित्व कर प्रतिवर्ष 5.00 लाख की आमदनी स्वंय अपने पास रखती है तथा प्रतिमाह 1000/– वृद्वावस्था पेंशन भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिछोछ से प्राप्त कर रही है तथा खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशन सामग्री भी उचित मूल्य दुकानदार बैराडा से प्राप्त कर रही है। रेस्पो. संख्या 1 ग्राम बैराडा स्थित 30X40 वर्ग फिट के मकान मे अकेली रहती है जिसमे 5 कमरे, 2 हॉल व 2 दुकान [illegible] मनिहारी का सामान रेस्पो. संख्या 1 व अपीलान्ट की विक्रय करती है जिससे प्रतिमाह [illegible] 12 हजार रूपये की आय अर्जित कर अपीलान्ट से अधिक कमा रही है इसके अतिरिक्त 10 कि[illegible] चांदी के जेवर, 20 तोला सोने के जेवर, 10 लाख रूपये नकद एवं पिता[illegible] रामपति[illegible] है। हमारी मॉ अपनी पुत्रियों एवं उदयप्रकाश [illegible] अपीलाट के विरूद्ध [illegible] मुकदमे बाजी कर एवं भरणपोषण के नाम पर ठगी कर रही है किन्तु उक्त तथ्यो को नजर अंदाज कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:32:46 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

संख्या 1 मुझ अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 2 से कोई स्नेह नही रखती है क्योकि हम दोनो नोकरी करते है इसलिए रेस्पो. संख्या 3 व हमारी बहनो के बहकावें मे आकर हमसे जबरन रूपये ऐठकर उदयप्रकाश की आर्थिक सहायता कर रही है तथा हम पर झूंठे आरोप लगाकर एफ.आई.आर दर्ज करवा कर ब्लेकमेल एवं बदनाम कर रही है। उदयप्रकाश आपराधिक प्रवृति का झगडालू एवं अनुचित शौक रखने वाला व्यक्ति है जिसका पक्ष हमारी मॉ ले रही है। अपीलान्ट द्वारा कभी अपनी मॉ एवं बहन के साथ मारपीट नही की गयी है अपीलान्ट अपनी मॉ को अपने साथ रखने के लिए सैदव से तैयार है किन्तु वह उनके साथ रहना ही नही चाहती है। अपीलान्ट ने रेस्पो. संख्या 1 व 3 को कभी घर से नही निकाला बल्कि उदय प्रकाश के जेल चले जाने के कारण उसकी पत्नि बच्चों को लेकर पीहर चली गयी जिसका अपीलान्ट से कोई सरोकार नही है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

रेस्पो. संख्या 1 द्वारा दोराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है। क्योकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवायी उभय पक्ष एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर ही निर्णय पारित किया गया है। रेस्पो. संख्या 1 विधवा एवं वृद्व महिला है तथा ब्रेन टयूमर जैसी गम्भीर बिमारी से ग्रसित है। प्रार्थीया के तीन पुत्र एवं तीन पुत्रिया है जिनमे से अपीलान्ट सरकारी अध्यापक एवं रेस्पो. संख्या 2 मुरारीलाल मत्स्य विभाग मे राजकीय सेवा मे कार्यरत है तथा प्रार्थिया का एक पुत्र उदय प्रकाश बेरोजगार है तथा एक पुत्री विमला तलाक शुद्वा है पुत्री विमला प्रार्थीया के साथ ही रहती है। रेस्पो. संख्या 1 के पति द्वारा दिनांक 15.2.1982 को एक पुख्ता मकान 35x37 वर्ग फीट का तुलारा मैरिज होम के सामने प्रभू गिलास हाउस के बग लमे पटेल नगर, नादौती मैन रोड़ पर गंगापुर सिटी मे श्री गुलाबचन्द पुत्र रामस्वरूप महाजन से क्रय किया गया था जिसमे 6 कमरे, एक रसोई,जीना, चौक, बरामदा,गैलरी एवं मुख्य सड़क की तरफ झांकती हुई दो दुकाने बनी हुई है उक्त मकान पर अपीलान्ट द्वारा कब्जा कर रखा है तथा रेस्पो.संख्या 1 व उसकी पुत्री विमला को धक्के मारकर उक्त मकान मे से निकाल दिया गया एवं उदय प्रकाश की पत्नि को भी उक्त मकान से निकाल दिया है। प्रार्थीया एवं प्रार्थीया के स्व0 पति द्वारा तीनो पुत्रों का अच्छी तरह से पालन पोषण एवं पढाई लिखाई करवायी जाकर कमाने योग्य बनाया है जिसकी वजह से आज अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 2 राजकीय सेवा मे कार्यरत है। अपीलान्ट की लगभग 80,000/– तथा रेस्पो. संख्या 2 व उसकी पत्नि की मासिक आय लगभग 1,55,000 /–रू प्रति माह है किन्तु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित की राशि 3300/–रू प्रतिमाह भरण पोषण की राशि का भुगतान नही किया जा रहा है। इस प्रकार मुझ रेस्पो. के तीनो पुत्र अपने धर्म का पालन नही कर रहे है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखते हुए अपीलान्ट से उक्त मकान रेस्पो. एवं उसकी पुत्रियो को दिलवाये जाने बाबत निवेदन किया गया।

रेस्पो.2 द्वारा भी निवेदन किया कि हमारी मॉ भरण पोषण के नाम पर हमसे नाजायज तरीके से राशि वसूल कर हमारे छोटे भा[illegible] एवं हमारी बहन पर खर्च कर रही है रेस्पो. को बिमारी नही है तथा उसके पास आय [illegible] स्त्रोत जैसे वृद्वावस्था पेंशन, खाद् सुरक्षा योजना मे गेंहूॅ मिलना, गांव की [illegible] लेन–देन का ब्याज इत्यादि है इसलिए उसको भरण पोषण की राशि की आ[illegible]यक नही है। इसलिए आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत रेस्पो. संख्या 2 द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:32:46 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अपीलान्ट एवं स्वंय रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट एवं रेस्पो.संख्या 2 के अनुसार रेस्पो. संख्या 1 के भरण पोषण हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी गुजारा भत्ता राशि 3300/–रू इसलिए उचित नही है क्योंकि रेस्पों संख्या 1 रामपति के पास आय के अन्य कई स्त्रोत जैसे गांव बैराडा मे 12 बीघा भूमि की उपज, मनिहारी की दुकानो, वृद्वावस्था पेंशन, खाद्य सुरक्षा योजना मे गेंहूँ मिलना इत्यादि बताया गया है किन्तु अपने कथन के समर्थन मे पेंशन विवरण एवं खाद्य सुरक्षा मे प्राप्त गेंहूँ के विवरण के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है। ऐसा कोई विधिक प्रावधान नही कि रेस्पो. संख्या 1 के पास उक्त आय के संसाधन होने के कारण वह गुजारा भत्ता प्राप्त नही सकती। इसलिए उक्त आय के आधार पर अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 2,3 अपनी माता रामपति को गुजारा भत्ता देने से इन्कार नही कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 के भरण पोषण हेतु 3300/–रू निर्धारित किये गये है जो कि सामान्य राशि है जिसका भुगतान रेस्पो. संख्या 1 को किये जाने मे अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 2,3 को कोई आपत्ति नही होनी चाहिए। जहॉ तक जमीन का बटवारा एवं मकान को खाली करवाये जाने का प्रश्न है तो उक्त अनुतोष पक्षकारान को इस अधिनियम के तहत दिया जाना सम्भव नही है। उक्त अनुतोष सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यो के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट संख्या 1 एवं रेस्पो. संख्या 2, 3 को निर्देशित किया जाता है कि रेस्पो. संख्या 1 को आदेश जैर अपील से निर्धारित भरण पोषण की राशि 3300–3300/–रू नियमित रूप से भुगतान की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.8.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:32:46 IST
Reason: SelfAttested